

कार्यालय - उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड परिक्षण के पत्र (पत्र) वन प्रभाग की अन्तर्गत जनपद देवास के विकास खण्ड ..

..... में Row permission for laying Optical Fiber Cable From Janghat Chowki -

(Total Length 87.9 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.879 है 0 वन भूमि का वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited,

अपेक्षित है 0 वन भूमि का वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited,

EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के पक्ष में वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव

हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (देसील - 052101) की दिनांक 07/15/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवी प्रसाद जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय

वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री देवी प्रसाद जिलाधिकारी (पत्र) अध्यक्ष।

2. श्री देवी प्रसाद जिलाधिकारी (पत्र) उप प्रभागीय वन अधिकारी (पत्र) सदस्य।

3. श्री देवी प्रसाद जिलाधिकारी (पत्र) सहायक समाज कल्याण अधिकारी (पत्र) सदस्य।

4. श्री देवी प्रसाद जिलाधिकारी (पत्र) सीओसीओ क्षेत्र सदस्य।

उपखण्ड समिति द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में खगोल करने हेतु उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वनोद्गी वन प्रभाग के

के विकास खण्ड में Row permission for laying Optical Fiber Cable From Janghat Chowki -

(Total Length 87.9 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.879 है 0 वन भूमि का वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali

(Punjab) के पक्ष में वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समिति के अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समिति द्वारा सर्वेसमिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु में अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वन अधिकारी (पत्र) (पत्र) वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य

परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समिति/ग्राम प्रधान द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से पत्र (पत्र) परिक्षण के अन्तर्गत जनपद देवास के विकास खण्ड ..

में Row permission for laying Optical Fiber Cable From Janghat Chowki -

(Total Length 87.9 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.879 है 0 वन भूमि का वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को

जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

देसील - 052101 / जनपद - 052101

प्रतिनिधि - जिलाधिकारी, देवास को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद Behradya के विकास खण्ड Chakradra में Row permission for laying Optical Fiber

Cable from Jangalhat Chowki - Silikhad - Daragad - Tiuni (Total Length 87.9Km) तक मोटर

मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.879 है० वन भूमि में कार्य करने की

अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं०

11-9 / 98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारंपरण लार्डेन, ओ०एफ०सी० केबल, पाईप

लार्डेन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त

रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आवेदित भूमि

परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित 0.879 है० वन भूमि / बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति

समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित

नहीं हो रहे है।



प्रमाणित
जिलाधिकारी

प्रमाणित
जिलाधिकारी

प्रमाणित
जिलाधिकारी

प्रमाणित
जिलाधिकारी

प्रमाणित
जिलाधिकारी

प्रमाणित
जिलाधिकारी

कार्यालय - जिलाधिकारी

जनपद -

पत्रांक /

दिनांक - 15-05-18

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन

निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक को जिलाधिकारी, Dehradun की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के

अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद Dehradun के विकास खण्ड Chakdoh में RoW permission

for laying Optical Fiber Cable from Jangal Chowki - Silikhad - Daragad - Tiuni (Total

Length 87.9km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अधिष्टत भूमि 0.879 है०

वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस 0.879 है० वन भूमि

का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Windhya Telelinks Limited, EPC

Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को प्रत्यावर्तित/कार्य करने की अनुमति दिये जाने सम्बन्धित

ग्राम समूह / ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

के आधार पर प्रस्ताव प्रयोजन हेतु संयुक्तता की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि

की अनापत्ति एवं संसृति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी की संसृति के आधार पर

निर्णय लिया गया कि उक्त 0.879 है० आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के रेंज के अन्तर्गत आती है,

पर अनापत्ति देने हेतु संसृति की जाती है। उप जिलाधिकारी, की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।